Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या :– **11/2015** **दायर तारीख 13-01-2015**

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— **प्रार्थी**

बनाम

1. सुनिल कुमार सिंह पुत्र श्री सतदेव सिंह जाति राजपुत नि. डी 28 ग्राउण्ड फलोर धर्म कालोनी पालम विहार जिला गुडगांव
2. राजेश पुत्र नाथूराम जाति खटीक नि. वार्ड न. 9 साइवाड, सीकर रोड जयपुर

—— **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : पैरोकार सरकार
श्री चिरंजी लाल, गिरधारी लाल यादव अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 07/02/2018

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 177 पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण का तलब किया गया। तहसीलदार विराटनगर के अनुसार पटवार हलका सोठाना , ग्राम पापडी के खसरा नम्बर 413, 417, 419, 420, 442, 443, 416, 418, 441, 430, 424, 440, 444 किता 13 रकबा 2.00 है. भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की जमाबन्दी में हिस्सानुसार खातेदारी कृषि भूमि है। जिसकी जमाबन्दी 2067 से 2070 की संलग्न है। ग्राम पापडी के उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि जो कि खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त भूमि पर मौके पर मिट्टी व मोंरम डालकर सडक बना रखी है तथा उक्त भूमि उपयोग अकृषि के रूप अप्रार्थीगण के द्वारा कराया जा रहा है। जो नियम विरूद्ध है तथा खातेदारों के द्वारा उक्त भूमि का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि के उपयोग मे ली जा रही है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अप्रार्थीगण 1 एवं 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.09.2017 को वकालतनामा पेश किया गया तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की अप्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात पर सडक का निर्माण नही करवाया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है तथा अप्रार्थीगण ने अपनी फसल की सुरक्षार्थ चार दीवारी व गेट का निर्माण करवाया है जो कि अकृषि कार्य की परिभाषा में नही आता है साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया की उक्त अराजीयात की पुनः मौका रिपोट मंगवाई जाकर तदनुसार वाद खारिज फरमाया जावें तथा जिससे अप्रार्थीगण को न्याय मिल सके।

तहसीलदार विराटनगर से प्रकरण में मौके की अद्यतन स्थिति की मौका रिपोर्ट तलब की गई

दिनांक 06.02.2018 को मौके की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट पेश कर तहसीलदार द्वारा उल्लेख किया गया की पापडी के आराजी खसरा नं. 413, 417, 419, 420, 442, 443, 416, 418, 441, 430, 424, 440, 444 की अद्यतन मौकानुसार की जॉच की गई। उक्त खसरा नं. में से खसरा नं. 418 में वर्तमान में मिट्टी डली हुई है। जिसको खातेदार द्वारा भूमि सुधार करने हेतु डालना बताया गया है। शेष खसरा नं. मौके पर पडत पडे हुये है जिनमें घास खडी हुई है तथा किसी प्रकार का निर्माण मौके पर नही है। खसरा न. 416 की उत्तरी दिश में पक्का डंडा बना हुआ है तथा जिसके पास गेट बना हुआ है जो खसरा न. 415 में स्थित है। खसरा नं. 418 में मिट्टी डली हुई है जिसको खातेदार के द्वारा भूमि सूधार के अन्तर्गत डालना बताया गया है। मौके पर खसरा नं. 413, 417, 419, 420, 416, 418, 430, 424 मौके पर पडत है जिसमे घास उगी हुई है। मौका फर्द रिपोर्ट, नक्शा, जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी संलग्न की है।

उभयपक्ष बहस पत्रावली सुनी गई तथा पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। ग्राम पापडी के खसरा नम्बर 413, 417, 419, 420, 442, 443, 416, 418, 441, 430, 424, 440, 444 किता 13 रकबा 2.00 है. भूमि जमाबन्दी संवत 2067 अनुसार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। पैरोकार सरकार का तर्क रहा की प्रश्नगत भूमि पर खेती नही की जा रही तथा मिट्टी मोरम डाल कर रास्ता बनाया हुआ है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क रहा की विवादित अराजीयात पर कृषि नही करने के पैराकार सरकार के तर्क से यह सिद्ध नही होता है कि उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का अकृषि कार्य किया गया है। तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत अद्यतन मौका रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट है कि उक्त खसरा नं. में से खसरा नं. 418 में वर्तमान में मिट्टी डली हुई है। जिसको खातेदार द्वारा भूमि सुधार करने हेतु डालना बताया गया है। शेष खसरा नं. मौके पर पडत पडे हुये है जिनमें घास खडी हुई है तथा किसी प्रकार का निर्माण मौके पर नही है। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क रहा की तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत खसरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गिरदावरी संवत 2073 में भी खसरा न. 440, 442, 443, 444 में बाजरें (खरीफ, सियालू) की फसल बोया जाना अंकित है। यहां उल्लेखनीय है कि प्रकरण 13.01.2015 को तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा गिरदावरी संवत 2073 में अंकित फसल उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद अंकित की गई है तथा किसी प्रकार का निर्माण अंकित नही किया गया है तथा अप्रार्थीगण उक्त आराजियत के रिकार्ड खातेदार है। अतः आराजी मुतनाजा कृषि भूमि है, जिसका मौके पर अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग नही हो रहा है, बल्कि कृषि कार्य किया जा रहा है जो किसी भी प्रकार से काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लंघन नही है। अतः वाद वादी खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

ग्राम पापडी के खसरा नम्बर 413, 417, 419, 420, 442, 443, 416, 418, 441, 430, 424, 440, 444 किता 13 रकबा 2.00 है. भूमि के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार विराटनगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 07/02/2018 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर